आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–31 / 2023	
24.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। वाद की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। प्रथम पक्ष की ओर से ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू के परिवादीगण उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। परिवादीगण द्वारा माह सितम्बर 2022, से दिसम्बर, 2022 तक का PMGKAY एवं NFSA में से एक ही राशन दिये जाने तथा माह जनवरी, 2023 एवं फरवरी, 2023 का राशन नहीं दिये जाने के आरोप का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। इन आरोपों के अतिरिक्त अन्य गंभीर आरोपों का भी उल्लेख परिवाद–पत्र में किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई का निर्णय लिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को परिवाद–पत्र की प्रति आयोग के पत्रांक–432 दिनांक–22.06.2023 द्वारा प्रेषित करते हुए दिनांक–10.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित रहे। दिनांक–10.07.2023 के सुनवाई के दौरान परिवादी के शिकायत का निदान कर आयोग को प्रेषित करते हुए अगली निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2023 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को सशरीर उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2023 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा अपने नानी के श्राद्ध कार्यक्रम के कारण अगली तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया। आज दिनांक–24.07.2023 के निर्धारित तिथि को भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित हैं। उनके द्वारा पत्रांक–944 दिनांक–21.07.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय सचिव की अध्यक्षता में Google meet के माध्यम से बैठक आहूत है। उनके द्वारा पुनः समय की मांग की गई। परिवादी का आरोप अत्यन्त गंभीर है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू न तो आरोप का समाधान कर रहे हैं, न ही सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं। आयोग NFSA से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त परिवाद के समाधान के लिये कार्यरत है। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की कार्रवाई प्रदर्शित करता है कि वे जनवितरण प्रणाली के योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। आज की सुनवाई अपराह्न 12.00 बजे निर्धारित थी। विभागीय सचिव के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू की meeting google meet के माध्यम से प्रस्तावित है, जैसा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा सूचित किया गया है। चूंकि सचिव के साथ प्रस्तावित बैठक google meet के माध्यम से होनी है, ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी यदि NFSA के प्रति संवेदनशील होते तो	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	सुनवाई में भाग ले सकते थे। साथ ही परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोप के संदर्भ में कार्रवाई कर कृत कार्रवाई की सूचना आयोग को उपलब्ध करा सकते थे। आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय सचिव को भेजा जाए। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को आदेश देता है कि अगली निर्धारित तिथि से पूर्व परिवाद–पत्र में उल्लेखित आरोपों की गहनता से स्वयं जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराएँ। साथ ही अगली निर्धारित तिथि को निश्चित रूप से उपस्थित हों। अनुपस्थिति की स्थिति में आयोग अनुशासनिक कार्रवाई को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–07.08.2023 को निर्धारित की जाती है। दिनांक–07.08.2023 को रखें। 24.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx97	